रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003–05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अगस्त 21—अगस्त 27, 2011, शनिवार/श्रावण 30—भाद्र 5, 1933
No. 35] NEW DELHI, AUGUST 21—AUGUST 27, 2011, SATURDAY/SRAVANA 30—BHADRA 5, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 238.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन)	2* (2011) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैण्ड-3, (रुपए 15600-39100) और ग्रेड पे 5400 रुपए	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पणी 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) । **टिप्पणी 2 :** आयु के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिविजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नृविज्ञान (सांस्कृतिक अथवा सामाजिक नृविज्ञान में विशेषज्ञता सहित) अथवा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि; और	लागू नहीं	एक वर्ष

(3)

(7)

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ सहित ग्राम और समुदाय अध्ययन में सामाजिक अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नृविज्ञान (सांस्कृतिक अथवा सामाजिक नृविज्ञान में विशेषज्ञता सहित) अथवा समाजशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री ।

टिप्पणी 1 : अन्यथा रूप से सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अभिलिखित कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग अर्हताओं को शिथिल कर सकता है ।

टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो वह लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड कर अनुभव संबंधी अर्हताओं को शिथिल कर सकता है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है : (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे बैण्ड-2, रु. 9300—34800 और 4800 रु. ग्रेड पे अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे बैण्ड-2, रु. 9300—34800 और 4600 रु. ग्रेड पे अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; अथवा (iv) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे बैण्ड-2, रु. 9300—34800 और 4200 रु. ग्रेड पे अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; और (ख) कालम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण पर विचार हेतु) में शामिल पदाधिकारी : (1) भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य (3) भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार, अथवा उप-सचिव भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —सदस्य	सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12032/22/99-प्रशा.-2/प्रशा.-5]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 24th August, 2011

G.S.R. 238.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Research Officer (Social Studies), Recruitment Rules, 2001, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer (Social Studies) in the Office of the Registrar General, India, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India Research Officer (Social Studies) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer (Social Studies)	2* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 (Rs. 15600—39100) and Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not exceeding thirty five years. Note 1 : Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Master's Degree in Anthropology (with specialization in Cultural or Social Anthropology) or Sociology from a recognised University; and (ii) Three years' experience of Social Research on Village and Community Studies with special reference to the Scheduled Castes and the Scheduled Tirbes. **Desirable :** Doctorate degree in Anthropology (with specialization in Cultural or Social Anthropology) or Sociology from a recognised University. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Comission for reasons to be recoreded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	One year

(7)
Note 2 : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Comission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tirbes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be avaiable to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800 and Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800 and Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800 and Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Registrar General, India —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs —Member 3. Joint Registrar General, India or Deputy Sectretary, Office of the Registrar General, India —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-12032/22/99-Ad. II/Ad. V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 239.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती नियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक पर्यवेक्षक (गोपनीय)	01 *(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता